कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रदेश मन्त्री), अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, 74 बी, श्यामगंज, बरेली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**386 / 08, 16.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रदेश मन्त्री), अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, 74 बी, श्यामगंज, बरेली द्वारा दिनांक 16.10.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रश्नकर्ता व्यापार मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर स्थित फर्म द्वारा देश के बाहर से निर्यात आदेश प्राप्त करने के उपरान्त कृषक / अपंजीकृत से खरीदे गये धान की मिलिंग प्रान्त बाहर स्थित अपने राइस मिल में कराने के उपरान्त उत्तर प्रदेश में स्थित शाखा से ही सीधे देश के बाहर निर्यात करने की दशा में ऐसे चावल में प्रयुक्त धान की अपंजीकृत से की गई खरीद पर करदेयता होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली द्वारा पत्र संख्या-3035, दिनांक 14.01.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 (सी-ए) के अनुसार धान व चावल के निर्यात के अन्तर्गत एक ही वस्तु माना गया है । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 राज्यों पर उनके राज्य में घोषित वस्तु की खरीद-बिक्री पर कुछ प्रतिबन्ध व शर्तें लगाती हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 के प्राविधान उन्हीं व्यापारियों पर लागू होंगे जो धान की प्रान्त अन्दर खरीद करके उसका प्रान्त अन्दर चावल बनाकर उसका निर्यात या निर्यात बिक्री करते हैं ।

प्रान्त बाहर व्यापारी की यदि उत्तर प्रदेश में ब्रान्च है तो उसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है । इस मामले में स्पष्ट नहीं है कि ब्रान्च पंजीकृत / अपंजीकृत है । अगर पंजीकृत ब्रान्च है तो कमीशन एजेण्ट के रूप में कार्य किया है तब व्यापारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम जो कि एक स्पेशल एक्ट है, के प्राविधानों के अन्तर्गत एक साथ माल के मालिक का विक्रेता एजेण्ट तथा क्रेता का परचेजिंग एजेण्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है । प्रान्त बाहर का व्यापारी प्रदेश के अन्दर किसी मण्डी से सीधी खरीद अथवा एजेण्ट के रूप में खरीद नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर भी मण्डी अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन होता है । अत: प्रत्येक स्थिति में व्यापारी द्वारा प्रदेश के अन्दर

.....2

खरीद पर कर जमा करना अथवा किसी भी प्रकार से कर अदा करना आवश्यक है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्यात बिक्री तभी करमुक्त होगी जब उसका निर्यात देश के बाहर हो चुका हो। इस आधार पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-41 के अनुसार यदि व्यापारी निर्यात की सभी शर्तें पूरी करते हैं व जमानतनामा जमा करते हैं तब उन्हें अपंजीकृत से खरीदे गये माल पर स्वयं जमा किये गये कर / पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे माल पर अदा किये गये कर का रिफण्ड मिलता है। अत: वर्णित परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अपंजीकृत से खरीदे गये धान पर क्रय कर जमा करने का दायित्व है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रदेश मन्त्री), अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, 74 बी, श्यामगंज, बरेली कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं करते हैं और न ही पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। प्रश्नकर्ता सर्वश्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रदेश मन्त्री), अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, 74 बी, श्यामगंज, बरेली person or dealer concerned in U.P. VAT Act नहीं हैं। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी संस्था द्वारा पूछा गया प्रश्न ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में निहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि person or dealer concerned ही उक्त धारा में प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नकर्ता '' सर्वश्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रदेश मन्त्री), अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, 74 बी, श्यामगंज, बरेली '' नामक संस्था द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में वे person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उनके द्वारा प्रस्तुत धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 16 जनवरी, 2014

ह0 / 16.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।